नया रायपुर, दिनांक 12 सितम्बर 2017

क्रमांक/एफ 8-1/2012/11/(6).—बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 34(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा एनएसपीसीएल, भिलाई के बायलर क्रमांक सीजी/343 यूनिट-2 को दिनांक 12-09-2017 से 31-10-2017 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6(सी) के उपबंधनों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बॉयलर अथवा बायलर कंपोनेट में होने वाली किसी भी दुर्घटना की सूचना बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल निरीक्षक वाष्पयंत्र/मुख्यनिरीक्षक वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर, पाइप लाइन तथा बायलर कंपोनेट में किसी प्रकार संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) भारतीय बॉयलर विनियम, 1950 के विनियम 385 क की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम रूप से जमा कराई जावेगी.

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लीना कोसम, अवर सचिव.

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2017

क्रमांक एफ 04-02/2017/23.—सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 (2009 का सं. 7) की धारा 3 एवं 4 सहपठित सांख्यिकी संग्रहण नियम, 2011 के नियम 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची–एक के अनुसार सांख्यिकी सर्वेक्षण, जो इसमें इसके पश्चात् उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण के रूप में निर्दिष्ट है, के माध्यम से सेवा क्षेत्र स्थापना एवं संबंधित कार्यकलापों पर आंकड़े एकत्र करने का निर्देश देती है एवं भौगोलिक इकाईयों के संबंध में नीचे उल्लिखित अनुसूची–दो के अनुसार सांख्यिकी अधिकारी नियुक्त करती है :–

अनुसूची–एक

1. **सांख्यिकी संग्रहण का विषय और प्रयोजन**– उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण के माध्यम से, संगठित विनिर्माण क्षेत्र के विकास, संरचना और ढॉचे से संबंधित आंकडे, जिसमें विनिर्माण प्रक्रिया, मरम्मत सेवाएं, गैस तथा जल आपूर्ति और शीत भंडारण से संबंधित कार्यकलाप समाविष्ट है, एकत्र किये जायेंगे.

2. **सांख्यिकी संग्रहण के लिए भौगोलिक क्षेत्र**– उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण, छत्तीसगढ़ राज्य में सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 (2009 का सं. 7) के अधीन राज्य क्षेत्र के लिये चयनित प्रतिदर्श इकाई के संबंध में किया जा रहा है.

3. **आंकड़े संग्रहण की पद्धति**– प्रत्येक सांख्यिकी अधिकारी के द्वारा उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले सूचनादाताओं को नोटिस जारी किया जायेगा जिसमें, जिस आंकड़े के लिये, जिस अधिकारी अथवा कार्यालय को, जिस इकाई अथवा इकाईयों के लिये और प्रपत्र जिसमें, सूचना देना अपेक्षित है, की जानकारी उपदर्शित होगी. सांख्यिकी अधिकारी, ऐसी अन्य शर्तों, जैसा कि उसके द्वारा सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये, के अध्यधीन रहते हुए, सूचनादाता को इलेक्ट्रानिक प्ररूप में विहित सूचना प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है.

4. **सूचनादाताओं की प्रकृति जिनसे आंकड़े एकत्र किये जायेंगे**–

(एक) इकाई (कोई फैक्ट्री या बिजली अथवा गैस या जल आपूर्ति उपक्रम अथवा बीड़ी और सिगार कामगार (रोजगार की शर्तें) अधिनियम, 1966 (1966 का सं. 32) के अधीन पंजीकृत स्थापन) का मालिक अथवा अधिभोगी, जिसे इकाई के बारे में सूचना उपलब्ध कराने हेतु सांख्यिकी अधिकारी द्वारा नोटिस जारी की जायेगी.

(दो) सांख्यिकी अधिकारी, वैयक्तिक इकाइयों के लिये अलग–अलग सूचना उपलब्ध न होने की दशा में, एकल प्रबंधन के अधीन दो अथवा अधिक इकाईयों के संबंध में मालिक अथवा अधिभोगी से, ऐसी अन्य शर्तों, जैसा कि नोटिस में उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, के अध्यधीन रहते हुए, समेकित सूचना उपलब्ध कराने की अपेक्षा कर सकेगा.

5. **अवधि जिसके दौरान सांख्यिकी संग्रहण कार्य किये जा सकेंगे**– सूचना में, प्रत्येक सूचनादाता द्वारा सूचना प्रस्तुत करने की तारीख का उल्लेख किया जायेगा और यह सामान्यतः अक्टूबर, 2016 एवं जून, 2017 के बीच की कालावधि के लिये होगी.

6. **संदर्भ कालावधि**– 1 अप्रैल, 2015 से शुरू होने वाले और 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष अथवा इकाई का लेखांकन वर्ष, जो 1 अप्रैल, 2015 और 31 मार्च, 2015 के बीच किसी भी तारीख को समाप्त होता है, के लिये सूचना उपलब्ध कराना अपेक्षित है.

7. **एकत्र की जाने वाली सूचना की प्रकृति**– भाग एक के अनुसार अपेक्षित सूचना, आस्तियों एवं दायित्वों, रोजगार तथा श्रमिक लागत, प्राप्तियां, व्यय, इनपुट मदें (देशीय और आयातित), उत्पाद तथा उप उत्पाद, वितरण व्यय इत्यादि से संबंधित हैं.

8. **भाषा जिसमें सूचनादाता द्वारा सूचना दी जानी है**– सूचनादाता, या तो हिंदी या अंग्रेजी में विहित प्रारुप में सूचना उपलब्ध करायेगा.

9. **सूचनादाता की बाध्यता**– किसी इकाई का मालिक अथवा अधिभोगी, सूचना उसी रीति में और उस तारीख तक प्रस्तुत करेगा, जैसा की संबंधित सांख्यिकी अधिकारी से प्राप्त नोटिस में उल्लिखित किया गया हो. उसे निरीक्षण हेतु सुसंगत अभिलेख भी प्रस्तुत करने होंगे तथा सांख्यिकी अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा चाही गई सूचना, जैसा कि अपेक्षित किया जाये, के संबंध में प्रश्नों के उत्तर देने होंगे.

10. **कारोबार के अभिलेखों तथा अन्य अभिलेखों की प्रकृति, जिनका निरीक्षण किया जा सकता है**– किसी इकाई के कारोबार के अभिलेखों, जैसे कि तुलनपत्र, लाभ तथा हानि खाते, मस्टर रोल, हाजिरी रजिस्टर, श्रम रजिस्टर, पे–रोल, निदेशक की रिपोर्ट अथवा इकाई द्वारा प्रस्तुत सूचना के समर्थन में किसी भी अन्य वैधानिक दस्तावेज का, सांख्यिकी अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा.

11. **निरीक्षण का तरीका**– संबंधित सांख्यिकी अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, इकाई के कारोबार के अभिलेख और अन्य अभिलेखों के आधार पर इकाई द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना का सत्यापन कर सकता है और संबंधित मालिक अथवा अधिभोगी या इकाई के प्रबंधन द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति से स्पष्टीकरण मांग सकता है.

अनुसूची—दो

स. क्र.	सांख्यिकी अधिकारी	भौगोलिक अधिकार क्षेत्र (राज्य / संघक्षेत्र)	पता
1	सहायक संचालक, एएसआई, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर	छत्तीसगढ़	आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, ब्लॉक—बी, भू—तल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़—492002.

टीप :— 1. संबंधित सांख्यिकी अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, स्थापना के कारोबार के अभिलेख एवं अन्य अभिलेख के आधार पर, किसी भी स्थापना द्वारा प्रस्तुत सूचना का सत्यापन कर सकेगा तथा संबंधित मालिक या अधिभोगी या स्थापना के प्रबंधन द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति से स्पष्टीकरण मांग सकेगा.

2. उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण 2014—15 के संबंध में, सूचनादाताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई, भाग—एक में संग्रहित सांख्यिकी (आंकड़े), सम्यक् सत्यापन और जांच के पश्चात्, उप महानिदेशक, केन्द्रीय सांख्यिकी अधिकारी (औद्योगिक सांख्यिकी शाखा), कोलकाता के कार्यालय में कार्यरत पदाधिकारियों द्वारा, तैयार की जायेगी.

3. उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण 2014—15 से संबंधित किसी कार्यकलाप में संलग्न सभी व्यक्ति, सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 (2009 का सं. 7) तथा सांख्यिकी संग्रहण नियम, 2011 के अधीन प्रावधानों द्वारा शासित होंगे.

No. F 04-02/2017/23. In exercise of the power conferred by Sections 3 and Section 4 of the Collection of Statistics Act, 2008 (No. 7 of 2009) read with Rule 5 and Rule 7 of the Collection of Statistics Rules, 2011, the State Government, hereby, directs collection of statistics on service sector establishment and related activities through a statistical survey, hereinafter referred to as the Annual Survey of Industries, as per schedule-I, and appoints Statistics Officer in respect of the geographical units as per schedule-II, mentioned below :

SCHEDULE I

1. **Subject and purpose for collection of statistics—** Statistics relating to growth, composition and structure of organized manufacturing sector comprising activities related to manufacturing processes, repair services, gas and water supply and cold storage shall be collected through Annual Survey of Industries.

2. **Geographical area for collection of statistics—** The Annual Survey of Industries is being conducted in the State of Chhattisgarh with respect to sample units selected for State Sector under the Collection of Statistics Act, 2008 (No. 7 of 2009).

3. **Method of data collection—** A notice will be issued by each Statistics Officer to the informant under his jurisdiction indicating therein, the data for which, the officer or office to whom, the unit or units for which, and the formats in which information is required to be furnished. A Statistics Officer may permit an informant to file the prescribed information in electronic form, subject to such other conditions as may be specified by him in the notice.

4. **Nature of informants from whom data may be collected—**

   (i) The owner or occupier of a unit [factory or an electricity or gas or water supply undertaking or an establishment registered under the Beedi and Cigar Workers (Conditions of Employment) Act, 1966 (No. 32 of 1966)], to whom notice would be issued by a Statistics Officer to furnish information about the unit.

   (ii) A Statistics Officer may require owner or occupier to furnish consolidated information, in respect of two or more units under a single management, in case information is not separately available for individual units and subject to such other conditions as may be specified by him in the notice.

5. **Period during which collection of statistics may be completed—** The date for submission of information by each informant shall be mentioned in the notice and generally fall during October, 2016 to June 2017.

6. **Reference Period—**Information is required to be furnished for the financial year commencing from 1st April 2015 and ending on 31st March 2016 or for the accounting year of a unit ending on any date between 1st April 2015 and on 31st March 2015.

7. **Nature of Information to be collected—** The Information required as Part-I relates to assets and liabilities, employment and labour cost, receipts, expenses, input items (indigenous and imported), products and by-products, distributive expenses etc.

8. **Language in which information is to be furnished by informant—** An informant shall furnish information in the prescribed formats either in Hindi or in English.

9. **Obligation of informant—** A owner or occupier of a unit shall furnish information in the manner and by the date mentioned in the notice received by him from the concerned Statistics Officer. He should also furnish relevant records for inspection, and answer questions in relation to the information sought, as may be required by the Statistics Officer or a person authorised by him.

10. **Nature of business records and other records which may be inspected—** Business records of a unit such as balance sheet, profit and loss account, muster rolls, attendance register, labour register, pay rolls, Director's report or any other legal document in support of the information furnished by the unit may be inspected by the Statistics Officer or a person authorized by him.

11. **The manner of inspection—** The concerned Statistics Officer or a person authorized by him may verify the information furnished by a unit on the basis of business records and other records of the unit and seek clarifications from the concerned owner or occupier or a person authorized by the management of the unit.

SCHEDULE II

S. No.	Statistics Officer	Geographical Jurisdiction (State/UT)	Address
1	Assistant Director, ASI, Directorate of Economic and Statistics, Chhattisgarh, Raipur.	Chhattisgarh	Directorate of Economic and Statistics, Block-B, Ground Floor, Indravati Bhawan, Naya Raipur - 492 002.

Note :— 1. The concerned Statistic Officer or a person authorised by him may verify information furnished by an establishment on the basis of business records and other records of the establishment and seek clarifications from the concerned owner or occupier or a person authorised by the management of the establishment.

2. The statistics collected in part-I, in respect of the Annual Survey of Industries 2014-15, furnished by the informants, after due verification and scrutiny shall be processed by officials working at the Office of the Deputy Director General, Central Statistics Officer (Industrial Statistics Wing), Kolkata.

3. All the persons engaged in any activity in respect of the Annual Survey of Industries 2014-15 shall be governed by the provisions under the Collection of Statistics Act, 2008 (7 of 2009) and the Collection of Statistics Rules, 2011.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिखा राजपूत तिवारी, संयुक्त सचिव.